



पत्रांक: SMC/05/140/2018-19/25.7.8.

दिनांक: 25.06.2026

प्रेषक,

शशि रंजन, भा.प्र.से.
राज्य परियोजना निदेशक।

सेवा में,

सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
सभी जिला शिक्षा अधीक्षक-सह-अपर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
समग्र शिक्षा, झारखण्ड।**विषय:** वित्तीय वर्ष 2026-27 में 'अभिभावक शिक्षक बैठक' (पी.टी.एम.) के आयोजन के संबंध में।

महाशय,

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत माता-पिता को अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास के प्रति जागरूक बनाने हेतु एवं अपने बच्चों की सीखने की गति में सहयोग हेतु शिक्षक अभिभावक संवाद लगातार किया जाना है। विद्यालय स्तर पर छात्रों का नामांकन, नियमित उपस्थिति एवं Learning Gap को कम करने हेतु माता पिता की सकारात्मक पहल हेतु अभिभावक-शिक्षक बैठक का निरंतर आयोजन करना आवश्यक है।

वित्तीय वर्ष 2026-27 में त्रैमासिक अभिभावक शिक्षक बैठक का आयोजन निम्नवत् किया जाना है:-

पी.टी.एम	माह	समय
प्रथम	29 जून - 4 जुलाई, 2026	09:00 - 12:00
द्वितीय	07-12 सितम्बर, 2026	10:30 - 01:30
तृतीय	07-12 दिसम्बर, 2026	09:00 - 11:30
चतुर्थ	25-30 मार्च 2027	09:00 - 11:30

अभिभावक शिक्षक बैठक की विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया (SoP) पत्र के साथ संलग्न है। राज्य की प्राथमिकता के आधार पर पी.टी.एम. के मुद्दों में परिवर्तन किया जा सकता है।

निदेशानुसार विशेष रूप से उच्च प्राथमिकता के आधार पर विद्यालय से बाहर रहने वाले बच्चों की भारी संख्या (OoSC Burden) छीजन, ट्रांजिशन एवं कम उपस्थिति के आधार पर चयनित 3485 विद्यालयों (सूची संलग्न) में आगामी आउट ऑफ स्कूल बच्चों के नामांकन हेतु विशेष नामांकन अभियान चलाया जाना है। जिलावार विद्यालयों की संख्या निम्नवत् है:-

S.NO.	DISTRICT	NUMBER OF SCHOOLS
1	DEOGHAR	232
2	DHANBAD	100
3	DUMKA	536
4	GARHWA	40
5	GIRIDIH	171
6	GODDA	341
7	GUMLA	157
8	KHUNTI	205

समग्र शिक्षा
Samagra Shiksha

f



S.NO.	DISTRICT	NUMBER OF SCHOOLS
9	LATEHAR	31
10	LOHARDAGA	99
11	PAKAUR	609
12	PALAMU	428
13	PASHCHIMI SINGHBHUM	270
14	RANCHI	112
15	SAHIBGANJ	154
Grand Total		3485

इन विद्यालयों में विशेष पी.टी.एम. का आयोजन करने एवं विद्यालयों के पोषक क्षेत्र के 5-18 आयुवर्ग के सभी बच्चे का विद्यालय/ आंगनबाड़ी में नामांकन सुनिश्चित करने हेतु संबंधित टोला, मोहल्ला के माता पिता/अभिभावक को छीजित बच्चों के नामांकन की जिम्मेवारी दिया जाना है। साथ ही आगामी आउट ऑफ स्कूल बच्चों के नामांकन हेतु विशेष नामांकन अभियान में शत-प्रतिशत लक्ष्य की प्राप्ति करने हेतु सभी भागीदार - शिक्षक, विद्यालय प्रबंधन समिति, माता समिति, संकुल तथा प्रखण्ड स्तरीय पदाधिकारियों द्वारा सामुहिक रूप से विशेष प्रयास की रणनीति भी तैयार करना है।

पी.टी.एम. हेतु प्रस्तावित बजट:- लोकभागीदारी मद में प्राप्त राशि से विद्यालय स्तर पर कार्यक्रम के पूर्व प्रचार-प्रसार आदि हेतु प्रति विद्यालय रु 200/- की दर से किया जा सकता है।

जिलावार बजट निम्नवत् प्रस्तावित है:-

Sl. No.	District	Elementary		Secondary		Total	
		Phy.	Fin	Phy.	Fin	Phy.	Fin
1	Bokaro	1435	11.48	111	0.89	1546	12.37
2	Chatra	1446	11.57	107	0.86	1553	12.42
3	Deoghar	1844	14.75	119	0.95	1963	15.70
4	Dhanbad	1585	12.68	126	1.01	1711	13.69
5	Dumka	2164	17.31	122	0.98	2286	18.29
6	Garhwa	1278	10.22	130	1.04	1408	11.26
7	Giridih	2935	23.48	192	1.54	3127	25.02
8	Godda	1374	10.99	129	1.03	1503	12.02
9	Gumla	1211	9.69	109	0.87	1320	10.56
10	Hazaribag	1326	10.61	140	1.12	1466	11.73
11	Jamtara	955	7.64	66	0.53	1021	8.17
12	Khunti	704	5.63	57	0.46	761	6.09
13	Kodarma	603	4.82	61	0.49	664	5.31
14	Latehar	960	7.68	85	0.68	1045	8.36
15	Lohardaga	445	3.56	49	0.39	494	3.95
16	Pakaur	899	7.19	59	0.47	958	7.66
17	Palamu	2363	18.90	173	1.38	2536	20.29
18	Pashchimi Singhbhum	1889	15.11	152	1.22	2041	16.33





झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद्

जे.एस.सी.ए. स्टेडियम रोड, सेक्टर-3,

धुर्वा, राँची - 834 004

दूरभाष - 0651-2444501, 2444502, फ़ैक्स-2444506

ई-मेल: iebcranchi1@gmail.com

An ISO 9001:2015 certified

19	Purbi Singhbhum	1440	11.52	138	1.10	1578	12.62
20	Ramgarh	526	4.21	75	0.60	601	4.81
21	Ranchi	1912	15.30	162	1.30	2074	16.59
22	Sahibganj	1180	9.44	98	0.78	1278	10.22
23	Saraikela-Kharsawan	1316	10.53	94	0.75	1410	11.28
24	Simdega	680	5.44	67	0.54	747	5.98
Total		32470	259.76	2621	20.97	35091	280.73

त्रैमासिक अभिभावक शिक्षक बैठक हेतु प्रति पी.टी.एम.रु 200/- की दर से प्रसार प्रसार हेतु District Limit में आवंटित है।

निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त अनुसार अभिभावक शिक्षक बैठक (पी.टी.एम.) के आयोजन ससमय करते हुए व्यय की राशि का समायोजन कर प्रबंध पोर्टल में अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।

अनुलग्नक: यथोक्त।

विश्वसभाजन

(शशि रंजन)

राज्य परियोजना निदेशक

ज्ञापांक: SMC/05/140/2018-19/.....**2578**

राँची, दिनांक: **25.06.2026**

प्रतिलिपि: सभी उपायुक्त, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

(शशि रंजन)

राज्य परियोजना निदेशक



समग्र शिक्षा
Samagra Shiksha

अभिभावक-शिक्षक बैठक (PTM)

मानक संचालन प्रक्रिया (SoP)

वितीय वर्ष 2026-27

पृष्ठभूमि: स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा 05-18 आयुवर्ग के बच्चों का नामांकन, उपस्थिति एवं गुणवत्त शिक्षा प्रदान करने हेतु विगत वर्ष से बड़े पैमाने पर विभिन्न कार्य किए गए हैं जिनका अनुभव कॉफी सकारात्मक रहा है। Learning Outcome को और अधिक मजबूत बनाने के लिए माता पिता की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस भूमिका को बेहतर करने के लिए विद्यालयों और समुदायों का आपस में जुड़ाव आवश्यक है। अतः माता-पिता एवं अभिभावक का समय-समय पर विद्यालयों में चल रहे बेहतर प्रयासों को जानना व बच्चों की शिक्षण क्षमता के स्तर के विषय पर शिक्षक से चर्चा करना महत्वपूर्ण जिम्मेवारी है। माता-पिता को अपने बच्चों के सर्वभौमिक विकास के प्रति जागरूक बनाने एवं अपने बच्चों की सीखने की गति में सहयोग हेतु जन-प्रतिनिधियों तथा पदाधिकारियों द्वारा भी विद्यालय स्तर पर नामांकन अभियान एवं पी. टी. एम आदि किए गए हैं। तथापि छात्रों का नामांकन, नियमित उपस्थिति एवं Learning Gap को कम करने हेतु माता पिता की सकारात्मक पहल हेतु अभिभावक-शिक्षक बैठक का निरंतर आयोजन करना आवश्यक हो गया है।

इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य निम्नवत् है:-

- i. **संवाद मजबूत करना:** PTM माता-पिता, शिक्षकों और प्रशासन के बीच सीधे संवाद को आसान बनाती हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि सभी भागीदार शिक्षा प्रक्रिया में पूर्णतया शामिल रहें।
- ii. **जवाबदेही:** माता-पिता को शैक्षिक यात्रा में शामिल करके, चूड स्कूलों को उनके प्रदर्शन और छात्रों के परिणामों के लिए जिम्मेदार बनाने में मदद करती हैं।
- iii. **माता-पिता की भागीदारी:** इस पहल में बच्चों की शिक्षा में माता-पिता की भागीदारी को महत्व दिया गया है, और उन्हें उनके बच्चे की शैक्षिक यात्रा में मुख्य भागीदार माना गया है।
- iv. **समय विकास:** पीटीएम हर तिमाही में आयोजित किए जाते हैं ताकि माता-पिता अपने बच्चों की शैक्षिक यात्रा पर नजर रख सकें, सीखने के अंतर को पाट सकें, और उनके समय विकास में मदद कर सकें।
- v. **सामुदायिक सहभागिता:** पीटीएमस समुदाय की भागीदारी और शिक्षा प्रणाली में सभी भागीदारों की सक्रिय सहभागिता को बढ़ावा देते हैं, ताकि शिक्षा प्रणाली सभी बच्चों की जरूरतों के प्रति समावेशी और उत्तरदायी हो।

वित्तीय वर्ष 2026-27 में त्रैमासिक शिक्षक अभिभावक बैठक कार्यक्रम (पी.टी.एम.) पूरे राज्य भर में निम्नांकित तिथियों में आयोजित किया जाएगा:-

पी.टी.एम	माह	समय
प्रथम	29 जून - 4 जुलाई, 2026	09:00 - 12:00
द्वितीय	07-12 सितम्बर, 2026	10:30 - 01:30
तृतीय	07-12 दिसम्बर, 2026	09:00 - 11:30
चतुर्थ	25-30 मार्च 2027	09:00 - 11:30

* अपरिहार्य कारण से कार्यक्रम में परिवर्तन होने की स्थिति में राज्य स्तर से प्रदान कर दी जाएगी।

1. राज्य की प्राथमिकता के आधार पर पी.टी.एम. के मुद्दों में परिवर्तन किया जा सकता है।
2. प्रथम पी.टी.एम. में पूरे राज्य में सामान्य कार्यक्रम का प्रस्तावित स्वरूप निम्नवत् है -

कक्षा I से V तक एवं कक्षा VI से XII

क्र.सं.	विवरणी	समय
1.	शिक्षक अभिभावक बैठक के पूर्व की तैयारी	
1.1	सभी बच्चों द्वारा अपने माता-पिता/ अभिभावक हेतु सूचना/आमंत्रण पत्र तैयार करना।	एक सप्ताह पूर्व तैयारी पूर्ण कर लेना
1.2	बच्चों द्वारा अपने माता-पिता/ अभिभावक हेतु सूचना/ आमंत्रण पत्र पहुँचाना/ग्राम स्तर पर रैली निकाल कर पी.टी.एम. हेतु जागरूक करना।	दो दिन पूर्व
1.3	माता-पिता/ अभिभावक के स्वागत हेतु बाल संसद की तैयारी।	दो दिन पूर्व
1.4	माता-पिता/ अभिभावक के बैठने, पेयजल, अल्पाहार एवं माइक आदि की व्यवस्था करना।	एक दिन पूर्व
1.5	विद्यालय एवं परिसर की साफ-सफाई।	एक दिन पूर्व
2.	शिक्षक अभिभावक बैठक की गतिविधियाँ	
2.1	बाल संसद एवं शिक्षकों द्वारा मुख्य गेट के पास माता-पिता/ अभिभावकों का स्वागत (टीका/माला/फूल इत्यादि)	10 मिनट
2.2	प्रधानाध्यपक द्वारा उपस्थित सभी माता-पिता/ अभिभावक का स्वागत / अभिवादन	5 मिनट
2.3	पी.टी.एम. के उद्देश्य पर चर्चा	5 मिनट
2.4	विद्यालय परिसर का भ्रमण कराना, प्रिंट रिच दीवार, प्ले ग्राउण्ड, किचन गार्डन, Toilet area, इत्यादि दिखाना एवं उनके उपयोग एवं सुरक्षा हेतु विमर्श करना।	20 मिनट
2.5	विद्यालय के पोषक क्षेत्र में 5-18 आयुवर्ग के बच्चों का नामांकन एवं छीजन पर समीक्षा एवं अनामांकित एवं छीजित बच्चों के पुर्ननामांकन में सहयोग हेतु चर्चा।	10 मिनट
2.6	छात्र उपस्थिति - नियमित उपस्थिति के महत्व को बार-बार दुहराना एवं प्रयास कार्यक्रम पर चर्चा। पिछले सत्र में अधिक उपस्थिति वाले बच्चों को प्रोत्साहित/ सम्मानित करना।	10

3.	कक्षा I से V	
3.1	निपुण भारत (NIPUN Bharat) कार्यक्रम की सफलता में स्कूल प्रबंधन समिति की भूमिका पर चर्चा	
3.2	FLN की गतिविधियों की समझ बनाना एवं FLN की गतिविधियों के अनुसार बच्चों की उपलब्धियों को साझा करना।	
3.3	बाल सुरक्षा एवं संरक्षण पर चर्चा।	
3.4	खेल-कूद में भागीदारी	
4.	कक्षा VI से XII	
4.1	प्रथम त्रैमास में बच्चों की शैक्षिक उपलब्धता की जानकारी प्रदान करना	
4.2	खेल-कूद में भागीदारी	
4.3	RAIL पर चर्चा के उपरांत Remedial एवं Discussion Classes का आयोजन पर चर्चा	
4.4	Learning Outcome पर चर्चा (विद्यार्थीवार माता-पिता से बातचीत)	
4.5	लैंगिक समानता पर परिचर्चा।	
5.	कक्षा I से V तक एवं कक्षा VI से XII	
5.1	माता पिता द्वारा घर में स्व-अध्ययन में सहयोग पर चर्चा।	
5.2	छात्रों को मिलने वाली अनिवार्य सुविधाओं के बारे में विस्तृत चर्चा करना। बच्चों के Uniform पर विशेष चर्चा	
5.3	विद्यालय की स्वच्छता, व्यक्तिगत स्वच्छता एवं MHM पर चर्चा।	
5.4	School Score Card, Certification की प्रगति पर चर्चा।	
5.5	विद्यालय के आस-पास नशीली दवाओं एवं नशापान की रोकथाम पर विमर्श	5 मिनट
5.6	पोक्सो अधिनियम एवं बाल विवाह निषेध कानून एवं रोकथाम हेतु विचार विमर्श	5 मिनट
5.7	सुझाव पेटी एवं खोया/पाया बॉक्स/कूड़ेदान की उपयोगिता पर चर्चा	5 मिनट
5.8	बच्चों द्वारा चेतना सत्र में किये गये सभी गतिविधियों में से सबसे उत्कृष्ट गतिविधि को प्रदर्शित करना जैसे- Dance/Music/ Singing/Debate/Extempore/Sports/Games आदि	50 मिनट

3. विशेष रूप से उच्च प्राथमिकता के आधार पर विद्यालय से बाहर रहने वाले बच्चों की भारी संख्या (OoSC Burden) छीजन, ट्रांजिशन एवं कम उपस्थिति के आधार पर चयनित 3485 विद्यालयों (सूची संलग्न) में आगामी आउट ऑफ स्कूल बच्चों के नामांकन हेतु विशेष नामांकन अभियान चलाया जाना है। जिलावार विद्यालयों की संख्या निम्नवत् है:-

S.NO.	DISTRICT	NUMBER OF SCHOOLS
1	DEOGHAR	232
2	DHANBAD	100
3	DUMKA	536
4	GARHWA	40

5	GIRIDIH	171
6	GODDA	341
7	GUMLA	157
8	KHUNTI	205
9	LATEHAR	31
10	LOHARDAGA	99
11	PAKAUR	609
12	PALAMU	428
13	PASHCHIMI SINGHBHUM	270
14	RANCHI	112
15	SAHIBGANJ	154
Grand Total		3485

इन विद्यालयों में विशेष पी.टी.एम. का आयोजन किया जाए। इन विद्यालयों के पोषक क्षेत्र के 5-18 आयुवर्ग के सभी बच्चे का विद्यालय/आंगनबाड़ी में नामांकन सुनिश्चित करने हेतु संबंधित टोला, मोहल्ला के माता पिता/अभिभावक को छीजित बच्चों के नामांकन की जिम्मेवारी भी दी जाए। साथ ही आगामी आउट ऑफ स्कूल बच्चों के नामांकन हेतु विशेष नामांकन अभियान में शत-प्रतिशत लक्ष्य की प्राप्ति करने हेतु सभी भागीदार - शिक्षक, विद्यालय प्रबंधन समिति, माता समिति, संकुल तथा प्रखण्ड स्तरीय पदाधिकारियों द्वारा सामुहिक रूप से विशेष प्रयास की रणनीति भी तैयार कर ली जाए।

समुदाय द्वारा स्वेच्छा दान

- प्रत्येक प्रधानाध्यापक/प्रभारी शिक्षक द्वारा समुदाय के द्वारा दान देने हेतु दृढ़ पृष्ठभूमि रखना।
 - पी.टी.एम. द्वारा सामुदायिक दान के फलस्वरूप विद्यालय को सुदृढ़ करना एवं यदि कोई स्थानीय उदाहरण हो तो साझा करें।
 - Vidyanjali 2.0 के बारे में समुदाय को बताना एवं Vidyanjali 2.0 में पंजीकृत होने हेतु प्रोत्साहित करना।
 - कार्यक्रम के अन्त में वैसे सदस्यों जिनका अभूतपूर्व सहयोग मिला है को धन्यवाद एवं सम्मान प्रदान करना।
 - Alumni पर चर्चा एवं बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्रों को विद्यालय बुलाकर सम्मानित करना।
4. **योजना क्रियान्वयन एवं मुख्य जिम्मेवारी-** विद्यालय के सुदृढ़ीकरण हेतु विभिन्न भागीदारों की जिम्मेवारी नीचे उल्लेखित की जा रही है-
- विद्यालय एवं प्रधानाध्यापक/प्रभारी की भूमिका- पी.टी.एम. के सफल निष्पादन की पूर्ण जिम्मेवारी प्रधानाध्यापक एवं संबंधित विद्यालय के शिक्षकों की होगी। एक प्रधानाध्यापक /प्रभारी प्रधानाध्यापक निम्नलिखित गतिविधियों के लिए जिम्मेवार होंगे:-
 - पी.टी.एम. में अधिक से अधिक लोग उपस्थित हो इसके लिए सामुदायिक जागरूकता एवं उत्साह का माहौल तैयार करना।

- ii. पी.टी.एम. में ग्राम पंचायत के कार्यकारी सदस्यों एवं विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यों की भागीदारी सुनिश्चित करना।
- iii. पी.टी.एम. के पूर्व विद्यालय की सुन्दरता, साफ-सफाई एवं अन्य जरूरी व्यवस्थाएँ सुनिश्चित करना। विद्यालय के शिक्षकों के बीच उक्त बैठक को लेकर महत्वपूर्ण गतिविधियों एवं भूमिकाओं का विभाजन।
- iv. पी.टी.एम. के मद्देनजर निर्धारित एजेण्डा के आलोक में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन करना। साथ ही आयोजन के क्रम में इस बात का ध्यान रखना कि संबंधित गतिविधियाँ छात्र-छात्राओं, माता-पिता एवं अन्य उपस्थित लोगों के लिए जानकारी भरा एवं उत्साहवर्द्धक हो।
- v. विद्यालय को प्राप्त स्वेच्छा दान का रिकॉर्ड रखा जाना एवं इसकी रिपोर्टिंग।
- vi. राज्य मुख्यालय द्वारा निर्दिष्ट प्रारूप में पी.टी.एम. की बैठक की कार्यवाही लिखा जाना तथा इसे प्रखण्ड एवं जिला स्तर के कार्यालय के साथ साझा करना।
- vii. किसी भी अंतिम समय की आवृत्तियों का प्रबंधन और एक सफल पी.टी.एम. की बैठक का आयोजन करना। किसी भी बड़ी चुनौतियों की स्थिति में आवश्यकतानुसार ससमय प्रखण्ड एवं जिला स्तर के कार्यालयों से संबंध स्थापित कर उसका निस्तारण।

ज्ञात हो कि पी.टी.एम. एक महत्वपूर्ण सामुदायिक गतिविधि है। अतः इसमें प्रधानाध्यापक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यों द्वारा उक्त गतिविधियों में निश्चित रूप से शामिल होंगे।

5. जिला स्तर पर जिला शिक्षा पदाधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम पदाधिकारी तथा जिला शिक्षा अधीक्षक-सह-अपर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी की जिम्मेवारी:-

- i. विद्यालय स्तर पर आयोजित पी.टी.एम. की बैठक के आयोजन हेतु जिला स्तर पर कार्यक्रम की रूप-रेखा तैयार करना एवं जिला एवं प्रखण्ड स्तर के कर्मियों को शामिल करते हुए उनकी जिम्मेवारी सुनिश्चित करना।
- ii. विद्यालय/प्रधानाध्यापक एवं क्षेत्रीय स्तर के कर्मियों के बीच पी.टी.एम. की अवधारणा हेतु समझ विकसित करना।
- iii. पी.टी.एम. को लेकर लोगों में उत्साह का संचार करने एवं अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला स्तर पर कार्यक्रम के क्रियान्वयन के पूर्व कार्यक्रम से संबंधित प्रचार-प्रसार करना।
- iv. उपायुक्त एवं उप विकास आयुक्त के साथ मिलकर जिला एवं प्रखण्ड स्तर के सरकारी पदाधिकारियों की उक्त बैठक में भागीदारी सुनिश्चित करना।
- v. व्यक्तिगत रूप से अपने क्षेत्र के विद्यालयों में आयोजित पी.टी.एम. की बैठक में भाग लेना। साथ ही जिला स्तर से उक्त बैठक का अनुश्रवण सुनिश्चित करना।
- vi. पी.टी.एम. के आयोजन हेतु बजट उपबंध के अनुरूप कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु संबंधित व्यक्ति को अधिकृत करना एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन के पश्चात् संबंधित को ससमय भुगतान सुनिश्चित करना।

6. विभिन्न स्तरों पर प्रचार-प्रसार

अभिभावक शिक्षक संघ के संबंध में एक व्यापक प्रचार-प्रसार अभियान रेडियो, समाचार-पत्र, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा किया जायेगा ताकि ज्यादा से ज्यादा समुदाय के बीच संदेश पहुँचे।

जिला स्तर पर यह उपायुक्त/उप विकास आयुक्त/जिला शिक्षा पदाधिकारी/ जिला शिक्षा अधीक्षक एवं मुखिया की जिम्मेवारी होगी कि पी.टी.एम. के दिन अधिकतम उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिये बड़े पैमाने पर और स्थानीय रूप से संदर्भित प्रचार-प्रसार करें। इसमें निम्नांकित को शामिल किया जा सकता है:-

- डिजीटल पोस्टर्स का Whatsapp के माध्यम से हर स्तर पर व्यापक प्रचार-प्रसार।
- प्रधानाध्यापक/विद्यालय प्रबंधन समिति सामुदायिक स्तर पर बैठक करेंगे एवं अभिभावकों/माता-पिता को विस्तृत जानकारी देंगे।
- ग्राम पंचायत के कार्यकारी सदस्य, अभिभावक शिक्षक संघ की विस्तृत जानकारी अपने क्षेत्राधीन पंचायत में उपलब्ध करावेंगे।

कार्यक्रम के उपरांत प्रचार-प्रसार (Post Event Publicity)

कार्यक्रम के पूर्व प्रचार-प्रसार को सम्मिलित करते हुए, कार्यक्रम के उपरांत विभिन्न स्तर पर प्रेस रिलीज एवं विडियो तैयार रखेंगे ताकि प्रसारित किया जा सके। झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद् एवं पीरामल फाउंडेशन के माध्यम से राज्य के विभिन्न विद्यालयों में लाइव रिकॉर्डिंग कराया जायेगा एवं अभिभावक शिक्षक संघ दिन के उपरांत सभी फुटेज को शामिल करते हुए एक विडियो बनाया जायेगा।

किसी भी प्रकार के नकारात्मक प्रचार/समाचार का त्वरित जांच किया जायेगा, एवं इसकी सूचना झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद् को अविलंब उपलब्ध करायी जाएगी। इसकी पूर्ण जवाबदेही जिला स्तर की होगी।

7. अभिभावक शिक्षक बैठक का अनुश्रवण:-

अभिभावक शिक्षक संघ के सफल निष्पादन के लिए एक विस्तृत अनुश्रवण किया जायेगा। Google link के माध्यम से उपस्थिति, कार्यक्रम के सभी पहलुओं का क्रियान्वयन एवं सभी गुणवत्त कार्यक्रम की सूचना जमा की जायेगी। अनुश्रवण तीन स्तरों पर किया जाएगा:-

1. प्रधानाध्यापकों के द्वारा 100% विद्यालयों का स्व-प्रतिवेदित डाटा निम्नवत् Matrics पर होगा:-
 - कक्षावार बच्चों के नामांकन की तुलना में माता/पिता, अभिभावकों की उपस्थिति
 - मुख्य एजेण्डा के अन्तर्गत विषयों की आच्छादित सूची
 - प्राप्त मुख्य सुझाव
 - फोटो अपलोड

2. **30% विद्यालयों का Random Sampling के तहत पार-सत्यापन (Cross Verification)**

- DEOs/DSEs/ADPOs /APOs/BEEOs /BPOs/BRPs/CRPs के द्वारा दो विद्यालयों का निरीक्षण कर प्रतिवेदन साझा किया जायेगा।
- लोकभागीदारी कार्यक्रम में कार्यरत गैर सरकारी संस्थान के कार्यबल अपने कार्य क्षेत्र के विद्यालयों में पी.टी.एम के आयोजन में सहयोग प्रदान करेंगे।

(शशि रंजन)

राज्य परियोजना निदेशक,
झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद्